न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौडगढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या– 22/2019 निर्णय दिनांक – 04.04.2019

मु0 कला देवी पत्नि रूपलाल जी जाति टेलर आयु वयस्क निवासी बिनोता तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।

– प्रार्थीया

//बनाम//

1. बाबरू पिता शंकरलाल माली आयु वयस्क निवासी बिनोता तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
2. बिहारीलाल पिता नाथुलाल सुथार आयु वयस्क निवासी बिनोता तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
3. मांगीलाल पिता गोटीलाल वागडी आयु वयस्क निवासी बिनोता तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।

– विपक्षीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0रे0एक्ट

आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा बिनोता पटवार हल्का तह0 निम्बाहेडा की खाता संख्या 59 की आराजी नं0 478 रकबा 0.0100 हैक्टेयर आराजी नं0 479 रकबा 0.2800 हैक्टेयर कुल कीता 2 कुल रकबा 0.2900 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया है। विपक्षी प्रार्थी की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को 200/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाके मौजा बिनोता पटवार हल्का तह0 निम्बाहेडा की खता संख्या 59 की आराजी नं0 478 रकबा 0.0100 हैक्टेयर आराजी नं0 479 रकबा 0.2800 हैक्टेयर कुल कीता 2 कुल रकबा 0.2900 हैक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढ़ी करे। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें।

आज दिनांक 04.04.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा